# मन्दिर न्यास श्री हनुमान मन्दिर डियारा सैक्टर बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अंकेक्षण अवधि 1.1.2013 से 31.12.2016

## भाग–एक

**1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–**

**(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2008 से 31.12.2009**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–4 (क) | निर्णीत | सूचनार्थ |
| 2 | पैरा–4 (ख) | निर्णीत | सूचनार्थ |
| 3 | पैरा–4 (ग) | निर्णीत | सूचनार्थ |
| 4 | पैरा–5 | निर्णीत | |
| 5 | पैरा–6 | निर्णीत | |

**(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिकारी (अध्यक्ष मन्दिर न्यास) एवं उनके कार्यकाल का ब्यौरा निम्न से रहाः–**

| क्र0सं0 | अधिकारी का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री रोहन चन्द ठाकुर | 1.1.2013 से 16.1.2013 |
| 2 | डा0 एम0एल0 मेहता | 29.1.2013 से 15.6.2013 |
| 3 | डा0 हरीश गज्जू | 15.6.2015 से 31.12.2016 |

## भाग–दो

**2 वर्तमान अंकेक्षणः–**

मन्दिर न्यास श्री हनुमान मन्दिर डियारा सैक्टर, बिलासपुर के लेखाओं अवधि 1.1.2013 से 31.12.2016 तक का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, श्री चम्बेल सिंह परमार, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) व श्री पुनीत कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 25.3.2017 को बिलासपुर में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जाँच हेतु क्रमशः माह 11/2013, 8/2014, 2/2015 व 12/2016, 3/2013 व

11/2016 का चयन किया गया। वर्ष 2014 व 2015 में व्यय न होने पर विस्तृत जाँच हेतु माह का चयन नहीं किया गया है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मन्दिर न्यास द्वारा लेखाओं के अंकेक्षण एवं परीक्षण हेतु जो सूचना एवं अभिलेख प्रस्तुत किए गए उन्हीं के आधार पर प्रतिवेदन का प्रारूपण किया गया है। किसी प्रकार की अपूर्ण एवं अधूरी सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

## 3 वित्तीय स्थितिः—

मन्दिर न्यास श्री हनुमान मन्दिर बिलासपुर के अवधि 1/2013 से 12/2016 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है, विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** में भी दिया गया है।

| क्र0सं0 | विवरण | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रारम्भिक शेष | 223472 | 273157 | 340143 | 404785 |
| 2 | आय | 43640 | 55198 | 50237 | 93323 |
| 3 | ब्याज | 9141 | 11788 | 14405 | 14402 |
| 4 | कुल जमा | 276253 | 340143 | 404785 | 512510 |
| 5 | व्यय | 3096 | — | — | 134569 |
| 6 | अन्तशेष | 273157 | 340143 | 404785 | 377941 |
| | रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.12.2016 को अन्तशेष | | | | ₹377941 |
| | दिनांक 31.12.2016 को बैंक खाता संख्या 11882 में जमा राशि | | | | ₹377941 |

## 4 अंकेक्षण शुल्कः—

मन्दिर न्यास श्री हनुमान मन्दिर के लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क नहीं बनता है। अतः इसे नहीं लिया गया है।

## 5 सावधि निवेशः—

मन्दिर न्यास श्री हनुमान जी, डियारा सैक्टर बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश द्वारा अवधि 1.1.2013 से 31.12.2016 के दौरान सावधि जमा योजना में कोई राशि निवेशित नहीं की गई। उपरोक्त अवधि के दौरान औसतन लगभग तीन लाख रूपये बचत खाते में शेष थे। इस राशि को यदि सावधि जमा खाते में निवेश किया होता तो अतिरिक्त ब्याज प्राप्त किया

जा सकता था लेकिन बचत खाते में अनुपयुक्त पड़ी राशि को सावधि जमा में निवेश न करने के कारण मन्दिर न्यास को ब्याज की हानि हुई है। अतः लेखा परीक्षा का सुझाव है कि मन्दिर न्यास के बचत खाते में पड़ी राशियों जिनकी निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है, को सावधि जमा खाते में निवेशित किया जाये ताकि मन्दिर न्यास को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

**6 आय व व्यय का विश्लेषणः–**

मन्दिर न्यास श्री हनुमान मन्दिर डियारा सैक्टर बिलासपुर के वर्ष 2013 से 2016 तक आय व व्यय की विवरणी निम्नलिखित हैः–

| वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2013 | 43640 | 3096 |
| 2014 | 55198 | — |
| 2015 | 50237 | — |
| 2016 | 93323 | 134569 |

वर्णित वर्षों के अवलोकन पर पाया गया कि श्री हनुमान मन्दिर एक छोटा मन्दिर है आय का मुख्य स्त्रोत श्रद्वालुओं द्वारा दान/चढ़त है वर्ष 2013, 2014 व 2016 में श्रद्वालुओं की संख्या में बढ़ौतरी के कारण आय में वृद्धि पाई गई है।

**7 ₹124399 की श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास को हस्तांतरित ₹1.24 लाख की वसूली न करनाः–**

श्री हनुमान मन्दिर न्यास से श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास के खाते में निम्नविवरणानुसार ₹124399 की राशि हस्तांतरित/नगद जमा की गई थी लेकिन लेखा परीक्षा होने तक इस राशि को श्री हनुमान मन्दिर न्यास निधि में जमा नहीं किया गया था। श्री हनुमान मन्दिर न्यास से श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास को राशि का भुगतान करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा ₹124399 शीघ्र मन्दिर न्यास श्री हनुमान मन्दिर बिलासपुर के खाते में जमा की जाए।

| क्र0सं0 | भुगतान की तिथि | भुगतान राशि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.2.2016 | 24399 | श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर को नगद भुगतान |
| 2 | 3.11.2016 | 100000 | श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर को हस्तांतरित राशि |
| | **जोड़** | **124399** | |

**8 डियारा सैक्टर पार्क में लगाई गई हाई मास्क लाईट बिजली बिलों का भुगतान अनियमित रूप से श्री हनुमान मन्दिर न्यास निधि से करनाः–**

डियारा सैक्टर बिलासपुर में जिला प्रशासन द्वारा हाई मास्क लाईट लगाई गई है। इसका मीटर श्री हनुमान मन्दिर न्यास के नाम से लगाया गया है तथा बिजली के बिलों का भुगतान भी हनुमान मन्दिर न्यास निधि से किया जा रहा है। कुछ बिलों का भुगतान श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास से भी किया गया है लेकिन लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास पर श्री हनुमान मन्दिर न्यास के नाम से बिजली बिलों का व्यय उचित प्रभार न होने पर श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर से किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति भी श्री हनुमान मन्दिर न्यास निधि से ही की गई है। डियारा सैक्टर में लगाई गई हाई मास्क लाईट नगर परिषद सीमा में पड़ती है तथा शहर की स्ट्रीट लाईट व अन्य का रख रखाव नगर परिषद द्वारा ही किया जाता है जिसके लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अनुदान दिया जाता है। हाई मास्क लाईट के बिजली बिलों का भुगतान श्री हनुमान मन्दिर निधि से किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः भविष्य में अन्य स्त्रोत से हाई मास्क लाईट के बिजली बिलों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

**9 मन्दिर न्यास द्वारा बिजली बिलों के भुगतान सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करने बारेः–**

मन्दिर न्यास श्री हनुमान मन्दिर के अंकेक्षण अवधि 1/2013 से 12/2016 में जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा बिजली के बिलों के भुगतान राशि से सम्बन्धित रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। अतः न्यास द्वारा बिजलों के बिलों से सम्बन्धित

रजिस्टर का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा अपेक्षित अभिलेख को तैयार करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जानी सुनिश्चित करें।

## 10 ₹20 का अधिक भुगतान बारेः–

मन्दिर न्यास श्री हनुमान मन्दिर के अवधि 1/13 से 12/2016 के अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 2.11.2016 को चैक संख्या 309652 द्वारा पूजा अर्चना व्यय हेतु ₹1920 का भुगतान दर्शाया गया था जबकि सम्बन्धित वाउचर के साथ संलग्न सूची के अनुसार निम्नविवरणानुसार ₹1900 का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः न्यास द्वारा ₹20 का अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करें व राशि को उचित स्त्रोत से वसूल कर न्यास निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

| क्र0सं0 | विवरण | राशि (₹) |
|---|---|---|
| 1 | सितम्बर 2016 व अक्तूबर 2016 दूध ½Kg प्रतिदिन (30.5Kgx40) | 1220 |
| 2 | देशी घी 1Kg | 350 |
| 3 | ज्योति पैकेट | 330 |
| | **योग** | **₹1900** |

## 11 मन्दिर न्यास द्वारा रोकड़ बही को मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित न करवानाः–

मन्दिर न्यास हनुमान मन्दिर के अवधि 1/2013 से 12/2016 के अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अवधि 1.1.2013 से 31.10. 2015 तक रोकड़ बही को मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित/हस्ताक्षरित नहीं करवाया गया था। अतः मन्दिर न्यास द्वारा रोकड़ बही को सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित न करवाये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करें तथा रोकड़ बही को सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

12 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13 **सारांशः—** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः—फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)257/2008 खण्ड—1(पार्ट)— 4892—4894 दिनाँक 09.08.2017 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

**पंजीकृत** 1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री हनुमान मन्दिर डियारा सैक्टर बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग हि0प्र0 शिमला—9

3 उपायुक्त एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री हनुमान बिलासपुर

हस्ता/—

(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881